



3036/016480

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- शालिनी तिवारी
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460512400
वाद संख्या:- 12400/2026

प्रवेश कुमार नायब तहसीलदार बनाम जशोदा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 01/06/2026

ग्राम- दोना, परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी सन् 1426-1431 फ0 की गाटा संख्या 2989 रकबा 0.2780हे0 में से विक्रित रकबा 0.1390हे0 व गाटा सं0 2875 रकबा 0.2020हे0 में से विक्रित रकबा 0.1010हे0 व गाटा सं0 2664 रकबा 0.1900हे0 में से 0.0950हे0 व गाटा सं0 2670 रकबा 0.1900हे0 में से विक्रित रकबा 0.0950हे0 व गाटा सं0 2673 रकबा 0.2710हे0 में से 0.1355हे0 व गाटा सं0 2860 रकबा 0.2280 हे0 में से विक्रित रकबा 0.1140हे0 व गाटा सं0 2984 रकबा 0.1260 हे0 में से विक्रित रकबा 0.0630हे0 व गाटा सं0 3015 रकबा 0.2220हे0 में से विक्रित रकबा 0.1010हे0 व 3036 रकबा 0.1640हे0 में से 0.0820हे0 कुल रकबा 1.8710 हे0 में से विक्रित रकबा 0.9255हे0 अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मांगुं 60ख से विक्रेता श्रीमती जशोदा पत्नी श्री छोटा निवासी विशेषर खेड़ा दोना लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.10.2025 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

क्रमांक संख्या :- 20549

विक्रय मूल्य :- 2,59,14,000/

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- नायब तहसीलदार, खुशहालगंज, सरोजनी नगर
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अस्था पांडेय
मण्डल :लखनऊ, जनपद :लखनऊ, तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460518628
वाद संख्या:- 18628/2026
नायब तहसीलदार प्रवेश कुमार बनाम विजय कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 02/06/2026

प्रस्तुत वाद वादी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकण योजनान्तर्गत के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमें विक्रय पत्र दिनांक 29.11.25 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहर जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखी/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। यह विक्रय विलेख उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश
अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना, परगना काकोरी, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00779 की खसरा सं० 3036 कुल रकबा 0.1640 हे० में से विकीत रकबा 0.0820 हे०, खसरा सं० 3015 कुल रकबा 0.2020 हे० में से विकीत रकबा 0.1010 हे०, खसरा सं० 2989 कुल रकबा 0.2780 हे० में से विकीत रकबा 0.1390 हे० खसरा सं० 2984 का कुल रकबा 0.1260 हे० में से विकीत रकबा 0.0630 हे०, खसरा सं० 2875 का कुल रकबा 0.2020 हे० में से विकीत रकबा 0.1010 हे०, खसरा सं० 2860 का कुल रकबा 0.2280 हे० में से विकीत रकबा 0.1140 हे०, खसरा सं० 2856 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विकीत रकबा 0.0315 हे०, खसरा सं० 2673 का कुल रकबा 0.2710 हे० में से विकीत रकबा 0.1355 हे०, खसरा सं० 2670 का कुल रकबा 0.1900 हे० में से विकीत रकबा 0.0950 हे०, खसरा सं० 2643 का कुल रकबा 0.0630 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0315 हे०, खसरा सं० 2641 का कुल रकबा 0.0890 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0445 हे०, कुल रकबा 2.0660 हे० में से विक्रीत रकबा 1.0330 हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से विक्रेता श्री विजय कुमार पुत्र छोटा निवासी-विशेश्वर खेड़ा, दोना, लखनऊ का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र अंजनी कुमार शुक्ला लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 29.11.25 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"